न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 77/2017 **दायरा दिनांक : 27.06.2017**

उनवान

उमरदराज वल्द श्री खलील मोहम्मद जी, जाति मुसलमान, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

प्रवीन कुमार आत्मज श्री मूलचन्द जी, जाति महाजन, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.12.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 93/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना में नयी खतौनी संख्या 252 पुरानी 231 की आराजी खसरा नम्बर 960 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 961 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 962 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 963 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 964 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1174 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरानम्बर 1175 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 1221 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1222 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1223 रकबा 14 बिस्वा कुल 10 किता की 13 बीघा 4 बिस्वा आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 2181 दिनांक 11.06.2012 के विभाजन से खसरा नम्बर 1221 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1222 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1223 रकबा 14 बिस्वा कुल 3 किता की 3 बीघा 7 बिस्वा आराजी वादी के पृथक खाते में दर्ज हो चुकी है । खसरा नम्बर 1222 रकबा 12 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी उमरदराज ने 8–10 वर्षों से जबरन कब्जा कर के निर्माण कार्य कर लिया है जो बहैसियत अतिक्रमी है । कई बार वादी ने प्रतिवादी से कब्जा छोड़ने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादी ने कब्जा नहीं छोड़ा है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.05.2017 को लोक अदालत में दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस आशय की डिक्री पारित की है कि तहसीलदार मनोहरथाना वादी के खाते की आराजी की दोनों पक्षों की उपस्थिति में पैमाईश करें और यदि प्रतिवादी का इस आराजी पर कब्जा पाया जाये तो बेदखल किया

जाये । प्रतिवादी का रोड़ सीमा पर भी कब्जा पाया जाये तो तहसीलदार सहायक अभियंता पी डब्ल्यू डी से रोड़ सीमा की जानकारी प्राप्त कर प्रतिवादी को बेदखल करें । अपीलांट अपने स्वामित्व के भू खण्ड 15 X 30 पर बहैसियत मालिक काबिज है । ग्राम पंचायत मनोहरथाना के द्वारा इस भू खण्ड का पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी किया है । इस पर अपीलांट का मकान एवं दुकान बना हुआ है । अपीलांट ने जवाबदावा पेश किया था । आगामी तिथि 18.11.2016 नियत की गई थी । इसके बाद भी कई तारीख नियत की गई । दिनांक 18.04.2017 को आगामी तारीख कायमी तनकीयात हेतु दिनांक 24.05.2017 नियत की गई । लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर ही निस्तारण हो सकता है । अपीलांट के द्वारा इस प्रकरण में कोई सहमति नहीं दी गई थी । कोई राजीनामा पेश नहीं किया था केवल उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर किये गये । सी पी सी की पालना नहीं की गई है ।अपीलांट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण किया गया है जबकि अपीलांट ने जवाबदावा पेश किया था । प्रकरण तनकी कायमी में लंबित था । लोक अदालत में बिना राजीनामे के अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री किया है और कंडीशनल आदेश पारित किया है । निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है । अपीलांट को इस पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली कायम तनकीयात में लम्बित थी और उस समय आगामी तारीख दिनांक 24.05.2017 नियत की गई थी । इसके बाद दिनांक 31.05.2017 को लोक अदालत में इसका निस्तारण किया गया । लोक अदालत में दिनांक 31.05.2017 को वादी प्रतिवादी उपस्थित हुए हैं और अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में यह अंकित है कि प्रतिवादी ने यह कथन किया है कि मैने जवाबदावा पेश किया है । वादी के दावे और उसके जवाबदावे का अवलोकन कर उचित निर्णय पारित किया जावे । इसके उपरान्त उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है और यह आदेश दिया है कि तहसीलदार मनोहरथाना दोनों पक्षों की उपस्थिति में पैमाईश करे और प्रतिवादी का इस आराजी पर कब्जा पाया जाये तो उसे बेदखल करें । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य कोई राजीनामा एवं सहमति नहीं हुई थी । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होने कोई विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी की पालना में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार मनोहरथाना को दोनों पक्षों की उपस्थिति में पैमाईश कर अतिक्रमण पाये जाने की स्थिति में बेदखल करने का आदेश जारी किया है । यह आदेश कण्डीशनल है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार तहसीलदार को अन्तरित नहीं कर सकते हैं । प्रतिवादी का वादी की जमीन पर कब्जा है अथवा नहीं यह साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय को स्वयं निर्धारित करना होता है और अतिक्रमण पाये जाने की स्थिति में तहसीलदार को सीधे बेदखली के निर्देश दिये जा सकते हैं, परन्तु तहसीलदार को मौके पर जाकर अतिक्रमण पाये जाने की स्थिति में बेदखल करने के निर्देश नहीं दिये जा सकते हैं । इस दृष्टि से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा